

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/ 5128

दिनांक 14/24

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- पाटडी से भटगांव सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।


Proposal no.FP/RJ/ROAD/42427/20219 (1.5ha)

संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1765 दिनांक 21.02.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा दिनांक 27.09.2023 को प्रकरण में ऑनलाईन ई.डी.एस जारी की गई थी। ई.डी.एस कि विन्दु संख्या-4 के क्रम में The form of penalty payable as per rules due to FCA violation till date is not attached. चाहा गया था। इस क्रम में FCA उल्लंघन होने के कारण MOEF के परिपत्र 29.01.2018 के अनुसार दण्डात्मक राशि का डिमांडनोट जारी कर दिनांक 31.10.2023 को ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर यूजर एजेन्सी को भिजवाया गया था। (प्रति संलग्न) जिसके प्रतिउत्तर में यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 826 दिनांक 16.11.2023 को अवगत कराया गया कि उक्त पेनल प्रोविजनल (दण्डात्मक प्रावधान) परिपत्र दिनांक 29.01.2018 को जारी हुआ है तथा उक्त प्रकरण वर्ष 2008 तथा उल्लंघन की दिनांक 26.05.2008 है। परिपत्र दिनांक 29.01.2018 से पूर्व का होने के कारण (दण्डात्मक प्रावधान) अनुसार शास्ती आरोपित नहीं होना चाहिए।

अतः निवेदन है इस संबंध में उचित मार्ग दर्शन देने की कृपा करे जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।



(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

बारां

दिनांक

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर।
- 2.अधिशायी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा को प्रतिलिपी दी जाकर लेख है कि प्रतिउत्तर कि प्रति पोर्टल पर आनलाईन भी अपलोड करे जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

बारां